की घोषणा की जा सकती है। खतरा उत्पन्न होने की दशा में आपात स्थिति

LL.B. II Sem.- 2020 (1)

2. किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने की दशा में आपात् उद्घोषणा

(Proclamation of Emergency in case of failure of Constitutional machinery in any State)

अनु० 356 जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे या राष्ट्रपति को अपने आप यह अनुभव हो जाय कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे वह संविधान के उपबन्धों का पालन करने में असफल है तो उस राज्य में आपात् स्थिति घोषित कर सकता है। ऐसी घोषणा के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं–

1. वह राज्यपाल, राज्य सरकार या राज्य प्राधिकारी में निहित किसी भी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है।

2. संसद विधानमण्डल की शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकती है।

3. राष्ट्रपति की घोषणा के उद्देश्य को पूरा करने के लिये कोई भी उपबन्ध बनाया जा सकता है।

संविधान के 38 वें संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा का निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर होगा जो अन्तिम माना जायेगा।

ऐसी घोषणा की अविध (Duration of such Proclamation)- ऐसी घोषणा की अवधि दो महीने के लिये प्रभाव में रहती है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा इस अवधि में संसद् के समक्ष प्रस्तुत की जानी आवश्यक होती है। यदि दो माह के भीतर संसद संकल्प द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन कर देता है तो घोषणा 6 माह तक प्रभावी रहती है। इस प्रकार प्रत्येक बार उद्घोषणा के अनुमोदन व संकल्प द्वारा आपात् काल की अवधि 6-6 माह करके अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। परन्तु एक वर्ष से अधिक अवधि तक आपात्काल जारी रखने वाला संकल्प सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों–

1. ऐसे संकल्प को पारित करते समय आपात् उद्घोषणा प्रवर्तन में हो,
2. चुनाव आयोग इस तथ्य का प्रमाण न दे कि सम्बन्धित विधान सभा के लिये आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण स्थिति का जारी रहना आवश्यक है।

68 वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अधिकतक 5 वर्ष के लिए बढ़ा देने के लिए उपबन्ध किया गया है।

Sub- Constitution of India - LL.B II Sem

Dr. NISHAT JHAN - NAS (PG) College, Meerut

68 वें संविधान संशोधन द्वारा ... वर्ष के लिए बढ़ा देने के लिए उपबन्ध किया गया है।

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of the Proclamation)

अनु० 357 के अनुसार, जहाँ अनु० 356 (1) के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा में यह घोषित किया गया हो कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियाँ संसद् के प्राधिकार या उसके अधीन प्रयोग की जाने योग्य होंगी, वहाँ

1. संसद्, राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिये राज्य विधान मण्डल की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी और उसे अपनी इन शक्तियों को, ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन, जैसा कि वह उचित समझे, किसी भी अन्य प्राधिकारी को, जिसको वह इस हेतु निर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित करने के लिये (to delegate) प्राधिकृत कर सकेगी;

2. संसद् या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी, जिसमें कानून बनाने की ऐसी शक्ति निहित है, कानून बनाकर संघ को या उसके पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियाँ और कर्त्तव्य प्रदान और आरोपित कर सकेंगे या शक्तियों को प्रदान या आरोपित करने के लिये प्राधिकृत कर सकेंगे;

3. राष्ट्रपति, उस समय जब कि लोकसभा सत्र में न हो, राज्य की संचित निधि में संसद् द्वारा ऐसे खर्च की मंजूरी के लम्बित रहते, खर्च प्राधिकृत कर सकेगा।

अनु० 356 के अनुसार राज्य–विधान मण्डल की शक्ति के प्रयोग में खण्ड (1) (क) के अधीन संसद् या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, उद्घोषणा के समाप्त होने के बाद वह तब तक प्रभावशाली रहेगा, जब तक कि उसे किसी सक्षम विधान मण्डल या प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया गया हो।

उपर्युक्त अनु० 356 के अन्तर्गत भारत में, संविधान के लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न राज्यों में अनेक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। सन् 1977 में जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने सामूहिक रूप से नौ राज्यों की कांग्रेसी या अन्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिये इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इनमें से राजस्थान सहित 6 राज्यों ने केन्द्र सरकार के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, AIR 1977 S.C. 1361 को ऐसे मामलें में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनु० 356 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विधान सभाओं को भंग करने की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की ही रिपोर्ट पर ऐसा करे। यदि वह अन्य किन्हीं कारणों से सन्तुष्ट है कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चलाना सम्भव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति

पुनः 1980 में मध्यावधि चुनाव होने पर कांग्रेस पार्टी के पुनः सत्ता में लौटाने पर केन्द्रीय सरकार ने उसी प्रकार सामूहिक रूप से नौ राज्यों में राष्ट्रपति शाासन लागू किया।

मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तथा राजस्थान तीनों राज्यों में भाजपा शासित सरकारों को बाबरी मस्जिद विवाद के पश्चात् भंग कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने **सुंदरलाल पटवा बनाम भारत संघ** (1993) J.V.L. 387 के वाद में अनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला आदेश अवैध है क्योंकि वह अनु० 356 की परिधि से बाहर है। कोई अवैध आदेश संसद द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात वैध नहीं हो जाता है।

बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त
The guidelines laid down by the Supreme Court in Bommai's Case)

एस० आर० बोम्बई बनाम भारत संघ (1994) 3 S.C.C. 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुये अनु० 356 के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं–

1. अनु० 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधान सभा के भंग करने की शक्ति 'सशर्त' है, असीमित नहीं और उसे यह दिखाना होगा कि अनु० 356 (1) के अधीन वे परिस्थितियाँ अस्तित्व में थीं जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने कार्यवाही की है।

2. राष्ट्रपति शासन राज्यपाल को लिखित रिपोर्ट के बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

3. 'पंथ–निरपेक्षता' भारतीय संविधान का "आधारभूत ढाँचा" है और यदि कोई सरकार उसके आदर्शों के विरूद्ध कार्य करती है तो वहाँ अनु० 356 का प्रयोग किया जा सकता है।

4. विपक्ष द्वारा शसित सभी राज्य सरकारों को एक साथ पदच्युत नहीं किया जा सकता है।

5. यदि केवल राजनीतिक आधारों पर दुर्भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो न्यायालय विधान सभा को पुनवर्जीवित कर सकता है।

6. राष्ट्रपति शासन लागू करना और विधान सभा के भंग करना दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति संसद् द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदित किए जाने के पश्चात ही विधानसभा को भंग कर सकता है। जब तक ऐसा अनुमोदन नहीं हो सकता है राष्ट्रपति विधान सभा को केवल निलम्बित कर सकता है।

7. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय केन्द्रीय सरकार को अनु०74(2) के बावजूद उस सामग्री को बताने के लिए बाध्य कर सकता है जिसके आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श केन्द्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देता है। 'सामग्री' परामर्श का भाग नहीं है अतः न्यायालय उसकी